बच्चों के लिए नवाचार पर रायपुर घोषणापत्र

हम, केंद्रीय और राज्य सरकारों , संयुक्त राष्ट्र संगठन ,संस्थागत इकाइयों , नागरिक समाज और नवाचार से जुड़े लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, विशेषकर कमजोर, सीमान्त/हाशिए और कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी से संबंधित तात्कालिक और उभरती हुई चिंताओं पर सोच-विचार, समाधान एवं मॉडल हेतु 21 एवं 22 सितंबर, 2017 को रायपुर में एकत्रित हुए।

हम प्रतिबद्ध है कि सभी बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण माहौल में स्वस्थ तरीके से विकास का अवसर एवं सुविधाएं प्राप्त हो तथा उनका सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार, भेदभाव तथा नैतिक एवं दैहिक शोषण से संरक्षण हो,

हम, सर्वसम्मति से घोषणा करते हैं:

1. **'कोई भी बच्चा पीछे ना छुटे'** अतः प्रत्येक बच्चे को उसके जीवन के पहले 1000 दिनों को विशेष महत्त्व देते हुए सुरक्षित,संरक्षित, स्वच्छ, स्वस्थ, सहायक, समावेशी और उपयुक्त वातावरण में जीवित रहने, सीखने तथा जीवन में अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने का उचित अवसर प्राप्त हो,
2. बच्चों की उत्तरजीविता और विकास के लिए एक सक्षम माहौल बनाने की दिशा में विस्तृत एवं अंतर्क्षेत्रिय नीतियों और योजनओं को विकसित करने हेतु पूर्व मानसिकता के पुनर्विन्यास, एकीकृत प्रयास एवं आह्वान की शीघ्र आवश्यकता है
3. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 और सतत विकास लक्ष्य में विधिवत वर्णित बच्चों से संबंधित मुद्दों के अनुरूप साक्ष्य आधारित, अनुकरणीय, स्तरीय एवं टिकाऊ समाधान विकसित करने के लिए बच्चों के लिए नवाचारों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है
4. योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतराल की पहचान और उसको संबोधित करने हेतु अभिशासकीय समाधान के लिए, समुदायों पर विश्वास और उनके सशक्तिकरण करने के साथ ही साथ उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संगठित समुदाय आधारित तंत्रों से जुड़े नवीन भागीदारी मॉडल निर्मित करने की आवश्यकता है ।

5. बच्चों एवं उनकी आयु सम्बंधित सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत क्षमता और संबंधित बुनियादी ढांचे के साथ पर्याप्त कुशल मानव और अन्य संसाधनों को मजबूत करने के लिए उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर नीतियों और कार्यक्रमों की रुपरेखा तैयार करना हैं ।

6. परिवारों को पालक कौशल, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों के साथ मजबूत और सशक्त करना , ताकि संस्थानीकरण केवल अंतिम उपाय ही बन पाए।

हमारा विश्वास है कि नवाचारों के प्रमाण, नीति और कार्यक्रम की रुपरेखा बनाने हेतु आधार बन सकते हैं। हम सभी हितधारकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे पर्याप्त वित्तीय संसाधन का आबंटन, पुन: प्राथमिकता निर्धारण, पुनर्निर्माण और अभिसरण कर करें तथा उक्त बजट का कुशलतम उपयोग हो ।
हम आश्वस्त हैं कि संकल्प पर सभी हितधारकों की जुनूनी प्रतिबद्धता भारत के प्रत्येक बच्चे को सक्षम बनने एवं बनाने हेतु समान अवसर और पहुंच प्रदान करेगी तथा दुर्व्यवहार , हिंसा, शोषण, गरीबी एवं उपेक्षा से मुक्त पर्यावरण प्रदान करेगी, जिससे वे विकसित हो सकें
।

.....